

राजस्थान सरकार
दिक्षिता (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक : प०12 (38) चि०5 / 94 - पाठ-III

जयपुर, दिनांक

17 JAN 2002

अधिसूचना :

प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इस विभाग द्वारा जिले के क्षेत्र के लिये सलाहकार समिति का गठन करने हेतु पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-6-2001 की निरन्तरता में, विभिन्न जिलों हेतु उक्त समिति में अनुबंधिकी विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा विधि विशेषज्ञ का निम्नानुसार मनोनयन करती है ; अर्थात् :-

क्र. सं.	नाम जिला	अनुबंधिकी विज्ञानी	तीन सामाजिक कार्यकर्ता	विधि विशेषज्ञ
01	बीकानेर	डा. सुनीता चट्टाना, पैथोलोजिस्ट, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1 श्री शुभ्म पटवा, आकाशवाणी पत्रकार, गंगाशहर, बीकानेर 2 श्री अरविन्द ओझा, सायेव, बज्जू एवं उरमूल सीमान्त, बीकानेर 3 श्रीमती अल्का डोली पाठक, प्रयानाव्यापिका, दयानन्द पब्लिक स्कूल, बीकानेर	श्री बृजरतन व्यास, लोक अभियोजक, बीकानेर
02	कोटा	डा. ए.पी. सिंह, सहायक आर्चीय, एनाटोमी विभाग, मेडिकल कॉलेज, कोटा	1 श्री महावीर चन्द्र भण्डारी, छाँवली चौराहा, कोटा 2 श्री रिच्चपाल पारीक, नयापुरा, कोटा 3 डा. (श्रीमती) सी.पी. शर्मा, मालति कालोनी, बृज टॉकीज के पास, कोटा	श्री हरेन्द्र शर्मा, उपनिदेशक, लोक अभियोजन, कोटा
03	बून्दी	डा. रो.पी. जोशी कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी) जगरल हॉस्पीटल बून्दी	1 श्री गहेश पाटोली, सोटेरियन, गुरुनानक कॉलोनी, बून्दी 2 श्री शिवप्रसाद मीणा, खोजागोट, बून्दी 3 श्रीमती मन्जु शर्मा, माहिला प्रगतिशील रांगठन, बून्दी	श्री राम आर्य, सहायक लोक अभियोजक— प्रथम श्रेणी, बून्दी
04	उदयपुर	डा. ललित जैन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटोमी विभाग, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1 डा. शरद अयंगर, सचिव, अर्थ संस्थिति, उदयपुर 2 श्री गणेश लागलिया, सचिव, महावीर इन्टरनेशनल, उदयपुर 3 सुश्री प्रमोदनी बक्ती, एड्डोकेट, उदयपुर	श्री चांदमल सांखला, लोक अभियोजक, उदयपुर
05	अलवर	डा. धी.के. व्यास, पैथोलोजिस्ट, जगरल हॉस्पीटल, अलवर	1 श्री राजकुमार मुतोड़िया, अध्यक्ष, रोटरी क्लब, ९-ए, फैण्डस कालोनी, अलवर 2 श्री प्रेमसिंह मेहाना, सचिव, महावीर इन्टरनेशनल, ८१, रांजिय कालोनी, एस एम ई स्कूल के पास, अलवर 3 श्रीमती शकुन्तला गुहा, अध्यक्ष, इनरस्टील क्लब, ४८-ए, लाजपत नगर, अलवर	श्री जयनारायण गुप्ता, लोक अभियोजक, अलवर

06	झूँझुनु	डा. मानसिंह भण्डारी कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी), जनरल हॉस्पीटल, सीकर	1 2 3	श्री गोलूराम मोदी, औम प्रिन्टर्स, नेहरू बाजार, झूँझुनु श्री एस.डी. पौड़ार, फुटला बाजार, झूँझुनु श्रीमती साहिब कौर, अध्यक्ष, माण्डला पर्यावरण सुधार समिति, बड़ा भौहल्ला, सिंघाना	श्री रामवतार सोनी, लोक अभियोजक, झूँझुनु
07	जयपुर	डा. अल्का राय आचार्य, माईक्रोबायलोजी विभाग, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर	1 2 3	डा. कमल जैन, टी.ओ.के. अस्पताल, मोती डूंगरी रोड, जयपुर श्री पवन कुमार जैन, गोकुलबरस्ती, टुगर्गुरा, जयपुर रजनी त्यागी, उपाध्यक्ष, शहर जिला कांग्रेस कमेटी, बडौदिया बस्ती, सैन कालोनी, जयपुर	श्री राजेश राज कुमावत, राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान सिद्धिंह सेना अधीन अधिकरण, जयपुर
08	बांरा	डा. राजमल चित्तोड़ा, पैथोलोजिस्ट, राजकीय चिकित्सालय, बांरा	1 2 3	डा. सुरेश टक्कर, अध्यक्ष, रोटरी क्लब, बांरा डा. लाजपत राय टक्कर, प्रताप चौक, बांरा श्रीमती चित्रा जैन, प्रिंसिपल, टिनी टायज स्कूल, बांरा	श्री महेश प्रकाश त्यागी, लोक अभियोजक, बांरा
09	भरतपुर	डा. (श्रीमती) प्रतिमा शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी), राजकीय चिकित्सालय, भरतपुर	1 2 3	श्री सीताराम गुप्ता, अध्यक्ष, ल्यूपिन, कृष्णा नगर, भरतपुर श्री गोविन्द शर्मा, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी श्रीमती शालू केयर इन्टरनेशनल, सारस चौराहा, भरतपुर	श्री सुरेश पाण्डेय, ए.पी.पी., भरतपुर
10	श्री गंगानगर	डा. सुनीता सरदाना कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी), जनरल हॉस्पीटल, श्री गंगानगर	1 2 3	डा. श्री भगवान, श्री गंगानगर श्री केवल गांग, केसरीरिंगपुरा श्रीमती मनिन्द्र कौर नन्दा, जसवन्त कौलोनी, श्री गंगानगर	श्री प्यारेलाल शर्मा, सहायक लोक अभियोजक— प्रथम, श्री गंगानगर
11	जैसलमेर	डा. सी.नी. गुप्ता, कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी), सेटेलाईट हास्पीटल, मण्डौर (जोधपुर)	1 2 3	श्री एल.एन. गेहता, एडवोकेट एवं सचिव, रेड क्रोस सोसायटी, जैसलमेर श्री महेन्द्र व्यास, महेन्द्र गैस एजेन्सीज, हुनुआन चौराहा, जैसलमेर श्रीमती रामेश्वरी पुरोहित, चैनपुरा, जैसलमेर	श्री जालग सिंह साड़ा, लोक अभियोजक, जैसलमेर
12	सिरोही	डा. विजय कुमार पुरोहित कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी), जनरल हॉस्पीटल, सिरोही	1 2 3	श्री सोहन लाल पट्टनी, शान्ती नगर, सिरोही श्री विनोद हरण, विनोद एन्टरप्राइजेज, सदर बाजार, सिरोही श्रीमती संद्या चौधरी द्वारा ला. ए.आर. तलयी, अपोजिट पिण्ड बड़ा हास्पीटल, सिरोही	श्री किशन सिंह देवडा, लोक अभियोजक, सिरोही

13	बाडमेर	डा० सोनी पुस्ता व निष्ठ विशेषज्ञ (प्रियोलोजी), सेटेलाइट हॉस्पीटल, मण्डोर (जोधपुर)	1 श्री शक्ति लाल, रोगानिवृत्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा, राय कालोंगी, आयकर आफिस के पास, बाडमेर 2 श्री धाराज जोशी, रड्डोवेट एवं अध्यक्ष, कोटो एकता, कमटी, बाडमेर 3 श्रीमती शांति मगल, अध्यक्ष, महिला जागृति परिषद, बाडमेर	श्री माणीलाल पटवा, ए०पी०पी०, बाडमेर
14	हनुमानगढ	डा० एस०एस० चौहान कनिष्ठ विशेषज्ञ (प्रियोलोजी), जनरल हॉस्पीटल, हनुमानगढ	1 श्री भगवन दास रवामी, एड्योकेट, वार्ड नं०५, १७, हनुमानगढ टाउन (हनुमानगढ) 2 श्री रातालाल मोदी, कार्यवाहक अध्यक्ष, श्री गोशाला, नौहर, (हनुमानगढ) 3 श्रीमती रेणू सोथी, कुमार ट्रेडर्स, २०, नई धान मण्डी, हनुमानगढ टाउन	श्री मुरलीधर उपाध्याय, सहायक निदेशक (असेयोजन), हनुमानगढ
15	राजसमंद	डा० अर्जुन जैन कनिष्ठ विशेषज्ञ (प्रियोलोजी), जनरल हॉस्पीटल, राजसमंद	1 श्री माणीलाल राठी, महावीर इन्टरनेशनल, ब्रजपुरा, नाथद्वारा 2 डा०(श्रीमती) किरी अयगर, संचालिका, अर्ध संरथान, कुचौली, प०स० कुम्भलगढ जिला राजसमंद 3 श्रीमती शकुन्तला पामेचा, आस्था संस्थान, नई ३, वाढी, आसोटीया, कांकरोली (राजसमंद)	श्री सुजान रिह चौधरी, ए०पी०पी०, राजसमंद

उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष का रहेगा।

आज्ञा से

(जौ.एल.वा.)
उप राजन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

- 1— सचिव, मा० मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2— निजी सचिव, राज्य मंत्री, चिकित्सा, स्वा० एवं प०क०, राजस्थान, जयपुर।
- 3— निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4— निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वा० एवं प०क० विभाग, राज० जयपुर।
- 5— निजी सचिव, विशेषज्ञ शासन सचिव, चिकित्सा, स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
- 6— सम्बन्धित जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- 7— अनुभागाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
- 8— सहायक आयुक्त (पॉलिरी) स्वास्थ्य एवं प०क० मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 9— निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 10— निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 11— निदेशक (००क०) / (जन स्वास्थ्य) / (आई०ई०सी०) / (एडस) मु०।
- 12— सम्बन्धित प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, राजस्थान।
- 13— विशेषाधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर।
- 14— सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोपायें, राजस्थान।
- 15— सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी, राजस्थान।

- 16— सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वारक्ष्य अधिकारी, राजस्थान।
- 17— सम्बन्धित सदस्य द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वारक्ष्य अधिकारी, राजस्थान।
- 18— सम्बन्धित उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वारक्ष्य अधिकारी (प०क०) / उपरखण्ड, राजस्थान।
- 19— सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 20— सम्बन्धित मातृ एवं शिशु स्वारक्ष्य अधिकारी, राजस्थान।
- 21— सम्बन्धित जिला सूचना एवं प्रसार अधिकारी, राजस्थान।
- 22— अधीक्षक, राजाकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि कृपगा इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का श्रम करें।
- 23— रक्षित पत्रावली।

उप शासन अधिकारी